'कोटा में अभिभावकों की भी काउंसलिंग होगी, अन्य कोर्सेज के बारे में जानकारी दी जाएगी'

- कोचिंग विद्यार्थियों को यूनिक आईडी मिलेगी
- दिशा-निर्देशों की पालना नहीं करने वाले हॉस्टल-पीजी पर कार्रवाई होगी

कोटा जिला कलेक्टर ने हॉस्टल,पीजी प्रतिनिधियों की बैठक ली।

कोटा, (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कहा कि कोचिंग संस्थान एक मैकेनिज्म तैयार कर 15 जुलाई के बाद कोचिंग संस्थानों में एडमिशन के समय ही विद्यार्थियों को यूनिक आईडी देंगे जो अल्फा-न्यूमरिक होगी। इस यूनिक आईडी से कोचिंग छात्र की एक विशेष पहचान रहेगी।

उन्होंने कहा कि कोचिंग क्लासेज में प्रतिदिन अटेंडेंस का सिस्टम बनाया जाए और किसी बच्चे के 3 दिन तक लगातार क्लास में नहीं आने पर संस्थान कारणों का पता लगाए और किसी तरह की आशंका होने पर सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस को दे ताकि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

डॉ. गोस्वामी शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के न्यू सभागार में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल एवं पीजी के प्रतिनिधियों, नोडल अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थानों की एक डेडीकेटेड टीम समय-समय पर हॉस्टल एवं पीजी की विजिट कर वहां रह रहे बच्चों से बात करें। कोचिंग संस्थान से टीचर के अलावा भी कोई व्यक्ति जाकर हॉस्टल में रह रहे बच्चों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में पता करें। उन्होंने कहा कि घर से दूर रहकर पढ़ रहे विद्यार्थियों को अपनेपन का अहसास कराने के लिए पर्सनल टच भी जरूरी है। उन्होंने कोचिंग संस्थानों के टॉप मैनेजमेंट के लोगों का भी आव्हान किया कि वे कोचिंग छात्र से उस माहौल में जाकर जरूर मिलें जहां वह रहता है। जिला कलक्टर ने कोचिंग संस्थानों में हर माह की जाने वाले गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए आचार संहिता बनाने के साथ ही अभिभावकों की काउंसलिंग करवाई जाएगी।

विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अन्य कॅरियर ऑरिएन्टेड कोर्सेज की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नीट-जेईई क्लीयर नहीं होने पर निराश होने की बजाय विद्यार्थी पॉजिटिव रहें क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के अलावा कई अन्य आप्शन भी हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि जिन विद्यार्थियों को मेन्डेटरी डिपोर्ट किया जाता है उनके लिए ईजी एक्जिट के साथ ही फी रिफंड की पॉलिसी बनाई जाए। उन्होंने हॉस्टल के साथ ही हर पीजी में एंटी हैगिंग डिवाइस, सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी आदि की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही, शिकायत के लिए ड्रॉप बॉक्स रखने, पुलिस हेल्प लाईन के नंबर तथा कंट्रोल रूम के नंबर डिस्प्ले करने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने कोचिंग संस्थानों से कहा कि जो विद्यार्थी पीजी में रह रहे हैं उनसे पीजी का एड्रेस एवं संचालक के फोन नंबर आदि की सूचना लेकर जिला प्रशासन को दी जाएं। डॉ. गोस्वामी ने निर्देश दिए कि कोचिंग संस्थानों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मानसिक सम्बलन एवं सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में किए गए प्रयासों एवं जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना में उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट अगले दो दिन में जिला प्रशासन को भेजी जाए। उन्होंने जिला प्रशासन के दिशा-निर्देशों की अनुपालना नहीं करने वाले हॉस्टल, पीजी एवं मकान मालिकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लगातार अवहेलना करने वाले हॉस्टल, पीजी आदि को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। जो संचालक सहयोग नहीं कर रहे हैं उनकी सूची बनाकर जिला प्रशासन को दी जाएं। जिला कलक्टर ने कोचिंग संस्थानों में योग्य मनो-सलाहकारों की नियुक्ति, आमुखीकरण कार्यक्रम, विद्यार्थियों की नियमित काउंसलिंग, फ्री हेल्पलाईन नंबर डिस्प्ले, लाईफ मैनेजमेंट पर शिक्षण, हॉस्टलों में बायोमैट्रिक, गेटकीपर की व्यवस्था सहित अन्य बिंदुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल एवं पीजी को दिए। उन्होंने कोचिंग क्लासेज के दौरान फैकल्टी द्वारा कुछ देर के लिए लाईफ लेसन शुरू करने, रिवर फ्रंट विजिट, सिगिंग प्रतियोगिता, स्पोर्ट्स गतिविधियां एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कोचिंग संस्थानों एवं हॉस्टल में डेंगू से बचाव के लिए एंटी लार्वा एक्टीविटी चलाने के भी निर्देश दिए।

बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन मुकेश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर दिलीप सैनी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कृष्णा शुक्ला, आयुक्त नगर निगम उत्तर अनुराग भार्गव, नोडल अधिकारी सुनिता डागा सीएमएचओ सहित हॉस्टल विजिट के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी एवं विभिन्न कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल एवं पीजी एसोसिएशन के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कोचिंग छात्र आत्महत्या प्रकरण में चार कमरे सीज

- अनियमितताओं को देखते हुए सीज की कार्रवाई की गई
- हॉस्टल, पीजी का निरीक्षण किया जाएगा

कोटा, (निसं)। शहर के महावीर नगर तृतीय क्षेत्र में किराए से रह रहे कोचिंग छात्र द्वारा गुरूवार को आत्महत्या करने के प्रकरण में जिला प्रशासन के निर्देश पर किए गए निरीक्षण के दौरान पंखे पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगी हुई नहीं पाए जाने तथा अन्य अनियमितताओं को देखते हुए मकान के चार कमरों को सीज कर दिया गया है।

इस मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) की अदालत में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 133 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए महावीर नगर तृतीय स्थित मकान संख्या 4-आई-11 के चारों कमरे सीज करने के साथ ही उपायुक्त नगर निगम दक्षिण एवं थानाधिकारी महावीर नगर को आदेश की पालना सुनिश्चित कराते हुए 24 घंटे में पालना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं। मकान मालिक राजेन्द्र प्रसाद गौतम को न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में उल्लेखित शर्तों की अक्षरश: पालना करने के लिए पाबन्द किया गया है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) कृष्णा शुक्ला ने बताया कि उक्त मकान में पंखों को लटकाने के लिए स्प्रिंग डिवाइस का उपयोग करने संबंधी निर्धारित गाईडलाईन की पालना नहीं किए जाने की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि छात्र द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में जांच करने पर कमरे में हैंगिंग डिवाइस का नहीं होना पाया गया। उन्होंने बताया कि उक्त मकान में चार कमरे किराए पर दिए जाते हैं जिनमें से वर्तमान में दो कमरों में छात्र रहते थे। छात्र की आत्महत्या के प्रकरण के बाद दूसरे छात्र द्वारा भी कमरा खाली कर दिया गया है।

उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर के निर्देश पर एक टीम गठित कर कोटा शहर में स्थित हॉस्टल/पीजी एवं कोचिंग छात्रों को किराए पर दिए गए मकानों आदि का निरीक्षण कर जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2024/6146 दिनांक:-04.07.24

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत् सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ सुनीति गोयल पुत्री स्व.श्री दिनेश चन्द्र गोयल निवासी भूखण्ड संख्या बी-93 तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड संख्या बी-93 तलवण्डी कोटा क्षेत्रफल 3495 वर्ग फुट का विक्रय कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा (राज.) के क्रमांक:विक्रय/82-83 दिनांक 12.07.1982 से श्री दिनेश चन्द्र पुत्र श्री मन्ना लाल गोयल को किया गया। श्री दिनेश चन्द्र गोयल की मृत्यु दिनांक 22.09.2013 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके विधिक वारिसान श्रीमती उमा रानी गोयल, श्री हितेन्द्र गोयल, श्रीमती सावित्री सिंघल द्वारा पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 05.06.2023 को अपना हक डॉ.सुनीति गोयल पुत्री स्व.श्री दिनेश चन्द्र गोयल के पक्ष में त्याग दिया है। डॉ.सुनीति गोयल पुत्री स्व.श्री दिनेश चन्द्र गोयल के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम, कोटा दक्षिण में उक्त भूखण्ड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखण्ड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी जो उक्त भूखण्ड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त, नगर निगम, कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम, कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1332 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 05.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की बसंत बिहार केशवपुरा-9 योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 1092 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 23.05.2002 को श्री हरिराम बिडला पुत्र स्व.श्री बंशीधर बिडला को किया गया था। आवंटी श्री हरिराम बिडला पुत्र स्व.श्री बंशीधर बिडला की मृत्यु दिनांक 16.12.2019 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान श्रीमती मीना पनवाड पुत्री स्व.श्री हरिराम बिडला द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आईडी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 1092 योजना बसंत बिहार केशवपुरा-9 का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मीना पनवाड पुत्री स्व.श्री हरिराम बिडला के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-767 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 05.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा योजना सुभाष नगर आवासीय योजना भूखण्ड संख्या 1287 श्री एच.एल.गर्ग पुत्र श्री श्रीनारायण लाल को आवंटन पत्र क्रमांक 10 दिनांक 18.04.1991 को आवंटन किया गया था। आवंटी श्री एच.एल.गर्ग पुत्र श्री श्रीनारायण लाल की मृत्यु दिनांक 06.10.2018 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती राधा गर्ग पत्नि श्री एच.एल.गर्ग द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, आई.डी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त आवास के नामहस्तान्तरण की स्वीकृति नगर विकास न्यास कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड संख्या 1287 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती राधा गर्ग पत्नि श्री एच.एल.गर्ग के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2587 जाहिर आम सूचना दिनांक 05.07.24

आवास संख्या 1-ध-15 दादाबाडी कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम दयाल गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम दयाल गुप्ता द्वारा दिनांक 18.12.1989 को अपने पक्ष में करवाया जा चुका है। पंजीयन उपरांत श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम दयाल गुप्ता द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 18.12.1989 को श्री दानमल पुत्र श्री बुद्धा को किया गया। श्री दानमल पुत्र श्री बुद्धा का नाम दिनांक 31.01.2013 को विक्रय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री दानमल पुत्र स्व.श्री बुद्धा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 03.06.2013 को श्रीमती रेनु धनवानी पत्नी श्री कमल कुमार धनवानी को किया गया। श्रीमती रेनु धनवानी पत्नी श्री कमल कुमार धनवानी द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-ध-15 दादाबाडी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अत: इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती रेनु धनवानी पत्नी श्री कमल कुमार धनवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करनें में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती रेनु धनवानी पत्नी श्री कमल कुमार धनवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्रीमती रेनु धनवानी पत्नी श्री कमल कुमार धनवानी का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

खाली भूखंड में महिला का शव मिला, हत्या की आशंका

कोटा, (निसं)। शहर के कुन्हाड़ी थाना इलाके में महिला की हत्या का मामला सामने आया है। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। महिला की लाश खाली प्लॉट में लहूलुहान हालत में मिली है। शव को पुलिस हत्या ही मान रही है और हत्या के एंगल से ही पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक महिला के शरीर पर चोटों के निशान है।

मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेट्री, एमओबी और डॉग स्क्वायड की टीम बुलाई गई हैं जहां पर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कुन्हाड़ी थाना अधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया की महाराणा प्रताप सर्कल के नजदीक रजत सिटी की बिल्डिंग के पीछे खाली पड़े हुए प्लॉट में एक महिला का शव पड़ा होने की सूचना थाने पर मिली।

इसके बाद मौके पर पुलिस जाप्ता पहुंचा है। बाद में आला अधिकारियों को भी मौके पर पहुंचे। महिला की शिनाख्त चंबल की छोटी पुलिया के नजदीक रहने वाली 45 वर्षीय रानी के रूप में हुई है। महिला के शव पर चोटों के निशान हैं।

ऐसे में महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला के शव को एमबीएस अस्पताल में शिफ्ट किया जिसके बाद पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया शुरू हुई। सीआई भारद्वाज का कहना है कि महिला के पहले पति की मौत हो गई है जिसके बाद उसने नाता विवाह दूसरे व्यक्ति से कर लिया था। जिसके साथ ही वह रह रही थी ऐसे में हत्या का क्या कारण रहा और कौन इसमें शामिल हैं।

इस संबंध में जांच पडताल के बाद ही सामने आ पाएगा। थानाधिकारी भारद्वाज के अनुसार इस मामले में महिला के बेटे की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। महिला के सिर पर चोटों के निशान है। संभवत: पत्थर या अन्य किसी चीज से उसे मारा गया है महिला के साथ रह रहा उसका पति मुकेश फिलहाल फरार है। ऐसे में घटना की जानकारी के लिए पुलिस उसकी भी तलाश में जुटी हुई है। महिला कचरा और थैली बीनने का काम करती थी।

अधिशासी अभियंता एक्सीडेंट मामले के चार आरोपी गिरफ्तार

- फर्जी बिलों का भुगतान नहीं करने से नाराज ठेकेदार ने हिस्ट्रीशीटर की मदद से अधिशासी अभियंता पर हमला करवाया था
- ठेकेदार मनोज और हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि फरार हैं

कोटा, (निसं)। शहर के दादाबाड़ी थाना पुलिस ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) के अधिशासी अभियंता को जान से मारने के इरादे से किए गए एक्सीडेंट के मामले में खुलासा हुआ है। जिसमें सामने आया है कि जल जीवन मिशन के फर्जी बिलों का भुगतान नहीं करने से नाराज ठेकेदार ने हिस्ट्रीशीटर की मदद से हमला करवाया।

हिस्ट्रीशीटर और ठेकेदार अभी फरार चल रहे हैं। इस मामले में वाहन मालिक सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अधिशासी अभियंता की बाईक और अन्य वाहन भी दुर्घटना ग्रसित हो गए थे। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी टूट गए थे। दादाबाड़ी थाना अधिकारी नरेश मीणा ने बताया कि पीएचईडी के अधिशासी अभियंता बने सिंह मीणा अपने ऑफिस दादाबाड़ी से महावीर नगर विस्तार योजना स्थित घर पर जा रहे थे।

उनकी गली के बाहर ही एक पिकअप ने अनियंत्रित होते हुए जानबूझकर उनकी बाईक को टक्कर मारी। जिसके बाद वह एक कार से भीड़ गए। साथ ही पिकअप ने वहां पर खड़ी हुई एक अन्य कार को भी टक्कर मार दी। इसके बाद बदमाश एक्टिवा पर सवार होकर फरार हो गए। इस घटना में बने सिंह मीणा के चोट लगी और उसके हाथ पैर फ्रैक्चर हो गए थे।

बने सिंह मीणा ने कहा कि वाहन चालक और उसमें बैठे हुए लोगों को पहचान लेंगे। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखा जिसमें चित्तौड़गढ़ में रजिस्टर्ड गाड़ी से दुर्घटना होना सामने आया। इसकी तलाश शुरू की। जिसके बाद पिकअप मालिक नरेंद्र रावल, पिकअप उपलब्ध कराने वाले मोहम्मद हुसैन और राजेश साहू को डिटेन किया गया।

इसके साथ ही पिकअप चालक के साथी अशोक को बापर्दा गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पूछताछ के बाद सामने आया कि घटना उदयपुर के सुखेर थाने के हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि और पीएचईडी के ठेकेदार मनोज वागड़ी ने कारित की है।

सीआई मीणा ने बताया कि एक्सईएन बने सिंह मीणा मार्च 2024 से पहले उदयपुर में तैनात थे। इसी दौरान ठेकेदार मनोज वागड़ी से उनका झगड़ा हो गया था। मनोज के फर्जी बिलों का भुगतान उन्होंने नहीं किया था। इसी बात पर डरा धमकाकर वह भुगतान करवाना चाह रहा था।

लेकिन उनके हस्ताक्षर करने से मना करने से यह भुगतान अटक गया। इसके बाद बने सिंह का कोटा ट्रांसफर हो गया। मनोज इस घटना से काफी नाराज था और उसने अपने हिस्ट्रीशीटर मित्र नरेश वाल्मीकि को साथ लिया। इसमें पिकअप खरीद कर इस घटना को अंजाम दिया है।

सीआई मीणा ने बताया कि यह घटना भी पूरी तरह साजिशन जानलेवा हमले की है। जिसे दुर्घटना की तरह कारित किया गया ताकि जानलेवा हमले को एक्सीडेंट का रूप दिया जा सकें। इस मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धाराओं में ही मुकदमा दर्ज किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि ठेकेदार मनोज और हिस्ट्रीशीटर नरेश वाल्मीकि फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दोनों अपने घरों पर भी नहीं पहुंच रहे हैं।

छात्रवृत्ति के लिये आवेदन आमंत्रित

कोटा, (निसं)। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट, अभ्रक खान, बीड़ी श्रमिक, लौह, मैगनीज, क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के बच्चे जो कक्षा 1 या उससे ऊपर की कक्षाओं के नियमित छात्र है, उनके लिए छात्रवृति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। कल्याण आयुक्त (केंद्रीय) सत्येंद्र सिंह चौहान ने बताया प्री-मैट्रिक के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तथा पोस्ट मैट्रिक के लिए 31 अक्टूबर है। उन्होंने बताया छात्रवृति के लिए विद्यार्थियों को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्रों के माता-पिता में से कोई भी एक बीडी श्रमिक, चूना पत्थर, डोलोमाइट खान श्रमिक, लौह, अयस्क मैगनीज और क्रोम अयस्क खान श्रमिक होना चाहिए। उसे कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें संविदा, घर खाता श्रमिक भी शामिल हैं। छात्र का राज्य या केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थान में अध्यनरत् होना अनिवार्य है।

श्री महर्षि गौतम छात्रावास एवं संस्कार केंद्र निर्माण समारोह कल

कोटा, (निसं)। श्री महर्षि गौतम छात्रावास समिति कैंत की चौकी अग्रसेन बाजार कोटा द्वारा श्री महर्षि गौतम छात्रावास एवं संस्कार केंद्र निर्माण समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। संस्था संरक्षक पंडित बद्री प्रसाद गौतम ने बताया कि इस कार्यक्रम में कोटा संभाग के सभी समाजबंधुओं की बड़ी संख्या में उपस्थित रहेगी।

गौतम ने बताया कि सात जुलाई रविवार को सायं 5.30 बजे रथ यात्रा, शोभायात्रा श्री महर्षि गौतम सर्कल टीवीएस चौराहा से प्रारंभ होगी जो विभिन्न चौराहा से होती हुई ओसीएफ डी-2 व 3 संस्कार केन्द्र श्रीनाथपुराम पर संपन्न होगी। संयोजक हीरेंद्र शर्मा, सह संयोजक दिनेश शर्मा मौली ने बताया कि शोभायात्रा का मुख्य मार्ग पर स्वागत द्वार लगाकर, पुष्प वर्षा कर एवं खाद्य सामग्री वितरण कर स्वागत किया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान दिनेश मोली परिवार की और से श्री महर्षि गौतम एवं माता अहिल्या के मंदिर का निर्माण कार्य का श्री गणेश भी होगा। सह संयोजक मनोज गौतम एडवोकेट ने बताया कि समारोह के दौरान बनने वाले भवन के बारे में विस्तृत जानकारी एलईडी स्क्रीन के माध्यम से दी जाएगी। भवन का स्वरूप कैसा होगा, आगे की कार्ययोजना के बारे में समाजबंधुओं को विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अध्यक्ष बालचंद फौजी, मंत्री मनोज गौतम ने बताया कि इस शोभायात्रा में कई आकर्षक के केन्द्र व झांकियां रहेंगे और समाजबंधु पारम्परिक परिवेश में नजर आएंगे। कार्यक्रम में भगवान जगन्नाथ एवं महर्षि गौतम की झांकियां आकर्षण का केन्द्र होगी, बग्गी, घोडे, बैंड बाजे शोभायात्रा की शोभा बढाएंगे। कोषाध्यक्ष त्रिलोक चंद्र गौतम, उपाध्यक्ष निगम शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज का रह व्यक्ति रहेगा।

अतिक्रमण हटाया

छीपाबड़ौद (निसं)। क्षेत्रीय वन अधिकारी छीपाबडौद के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए मोखमपुरा में लगभग 20 बीघा जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाया। यह जानकारी वन विभाग से जुड़े रमेश गडवाल ने दी है।

नाम परिवर्तन

मेरे विवाह प्रमाण पत्र में मेरा नाम वैष्णवी विनोद चौगुले है जो कि गलत है मेरा सही नाम वैष्णव होरा पत्नी श्री अपाजित सिंह होरा है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए

पता-19, प्रेरणा, स्टेशन रोड, मॉडल टाउन कोटा राजस्थान

नाम परिवर्तन

मैंने अपना पुराना नाम मनीष कुमार नन्दवाना से बदलकर नया नाम मनीष नन्दवाना रख लिया है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-मनीष नन्दवाना पुत्र जगदीश प्रसाद नन्दवाना 703-ए आर के पुरम कोटा

कार्यालय नगर विकास न्यास, कोटा

क्रमांक-1152 नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक 05.07.2024

नगर विकास न्यास कोटा की बालाजी मार्केट व्यवसायिक योजना के भूखण्ड/आवास संख्या 157 का आवंटन/हस्तान्तरण न्यास के पत्र दिनांक 10.03.2003 को श्री रामस्वरूप गौतम पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा को किया गया था। आवंटी श्री रामस्वरूप गौतम पुत्र श्री बजरंग लाल शर्मा की दिनांक 08.04.2021 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान श्री अनिल गौतम पुत्र श्री रामस्वरूप गौतम द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिलीज डीड, शपथ पत्र, वारिसान शपथ पत्र, आई.डी इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड/आवास का अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 157 योजना बालाजी मार्केट व्यवसायिक का नाम हस्तान्तरण श्री अनिल गौतम पुत्र श्री रामस्वरूप गौतम के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उप सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

नहरों में पानी छोड़ने का निर्णय नहीं हुआ तो किसान कर सकते हैं बैराज कूच

- नहरों के गेट खोलने की मांग की

कोटा, (निसं)। कोटा क्षेत्र के किसान खरीफ की फसलों के लिए नहरी पानी की मांग को लेकर आंदोलनरत हे लेकिन सीएडी प्रशासन किसानों के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। आज किसान प्रतिनिधियों ने आगामी आंदोलन की तैयारियों के लिए पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा की सीएडी प्रशासन नहरों में आवश्यकता होने ओर किसानों की मांग पर पानी नहीं छोड़ कर राजस्थान सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि किसान लगातार पानी मांग कर रहे हैं और सीएडी प्रशासन मूकदर्शक बना बैठा है।

किसान अभी तक शांति पूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं परन्तु अगर किसानों को समय पर नहरी पानी नहीं मिला तो आंदोलन उग्र हो सकता है क्योंकि किसान अपनी आंखो के सामने अपनी फसल को बर्बाद होते नही देख सकता। गौतम ने कहा की सीएडी प्रशासन के अधिकारी तकनीकी बहाना बनाकर पानी नहीं छोड़ना चाहते नहरों में पानी प्रवाहित होने से उन्हें फील्ड में दौड़ना पड़ेगा वो अपनी जिम्मेदारी से बचाना चाहते है। गौतम ने कहा की के.पाटन, बूंदी, तालेड़ा, कापरेन, लाड़पुरा, दीगोद, सुल्तानपुर, मांगरोल, अंता आदि में क्षेत्र की 6 विधानसभा में 1 लाख 70 हजार से अधिक किसान परिवारों ने लगभग 2 लाख 50 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में धान की रोपाई कर रहे हे जिसमे से अधिकतर क्षेत्र के.पाटन और बूंदी का है। जहां धान की खेती होती है। लगभग 3 हजार करोड़ का आर्थिक चक्र धान की फसल से चलता है जिसमे किसान मजदूर व्यापारी हम्माल सभी प्रभावित होते है। गौतम ने कहा की नहरी पानी से फसल का उत्पादन भी बढढ़ता है नहरी पानी नहीं मिलने से भूमि का जलस्तर भी गिरता है साथ ही भूमि के जल से खेतों की मिट्टी भी बीमार हो गई है बारिश के पानी पर भी निर्भर नहीं रहा जा सकता क्योंकि बारिश कितनी होती है कहां होती है कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसीलिए नहरों में पानी की आवश्कता है अगर जल्द नहरों में पानी नहीं मिला तो किसानों को सैकड़ो करोड़ों की आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी इसीलिए प्रशासन अविलंब नहरों में पानी छोड़े। किसान प्रतिनिधि दिलबाग सिंह ने कहा की 8 जुलाई को सीएडी प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाई हे जिसमे नहरी पानी को लेकर निर्णय होने की संभावना है अगर बैठक के बाद नहरी पानी का निर्णय नही हुआ तो किसान बड़ा कदम उठाएंगे इसलिए सभी किसानों को 8 जुलाई को कोटा सीएडी कार्यालय पहुंचने का आव्हान किया है साथ ही उन्होंने कहा की सभी राजनेतिक दलों के जनप्रतिनिधि प्रशासन और पानी छोड़ने का दबाव बनाए क्योंकि विधानसभा ओर लोकसभा चुनावों के समय सभी ने किसानों नहरी पानी का वादा किया था अब किसानों को इंतजार है कोन किसानों के पक्ष में है। अभी तक जनप्रतिनिधियों की खामोशी से किसानों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। पत्रकार वार्ता को किसान प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी, रूप शंकर सुमन ने भी संबोधित किया।

श्रद्धांजलि

24.10.1918 - 06.07.2000

24वीं पुण्यतिथि

श्रद्धेय स्व. वैद्य श्री घनश्याम जी शर्मा

निवासी श्रीमाधोपुर (सीकर) की 24वीं पुण्यतिथि 06 .07 .2024 पर सभी परिवारजन की ओर से

शत् शत् नमन् एवं सादर श्रद्धाजंलि

कैलाश शर्मा (राष्ट्रदूत) एवं उमा शर्मा (से.नि.प्रधानाध्यापिका), नरेन्द्र शर्मा (से.नि.एयरफोर्स) एवं दीपशिखा, सत्यप्रकाश शर्मा (राष्ट्रदूत, जोधपुर) एवं ज्योति शर्मा (से.नि.प्रिंसिपल सी.सै.स्कूल) (पुत्र-पुत्रवधु), बीना एवं नरेन्द्र भारद्वाज (से.नि.भारतीय स्टेट बैंक) (पुत्री-दामाद), प्रशांत एवं प्रिया (पौत्र-पौत्रवधु) एवं समस्त परिवारजन

मोबाइल : 9829264308, 9829360428, 9462694531

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2584 जाहिर आम सूचना दिनांक 05.07.24

आवास संख्या